न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 42/05

वादीगण :-

1. जब्बरसिंह पुत्र चैनसिंह
   जाति-राजपूत, साकिन-लौटोती
   हाल मुकाम-न्यू कॉलोनी बोरून्दा
   तह.-बिलाड़ा, जिला-जोधपुर(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. हीरसिंह पुत्र चैनसिंह
2. घनश्यामसिंह पुत्र चैनसिंह
3. रामसिंह पुत्र चैनसिंह
   जातियान-राजपूत
   निवासीगण-लौटोती
4. हरजीराम पुत्र मंगलाराम
   जाति-कुमावत निवासी-लौटोती
5. रसालकंवर बेवा कानसिंह
6. मोहनकंवर बेवा बजरंगसिंह
7. घीसूसिंह पुत्र बजरंग सिंह
8. प्रहलादसिंह पुत्र बजरंगसिंह
9. मालमसिंह पुत्र बजरंग सिंह
10. कल्याणसिंह पुत्र बालसिंह
11. नरेन्द्रसिंह पुत्र बालसिंह
12. किशनसिंह पुत्र मूलसिंह
13. किशनसिंह पुत्र दुर्जनसिंह
    जातियान-राजपूत, निवासीगण-लौटोती
    तहसील-जैतारण, (जिला-पाली)
14. बाबूलाल उर्फ नारायण पुत्र
    पुरखाराम
15. संग्रामराम पुत्र पुरखाराम
16. कानाराम पुत्र पुरखाराम
    जातियान-जाट निवासीगण-लौटोती
17. पानीदेवी पत्नि पुरखाराम
    जाति-जाट निवासीगण-लौटोती
18. मारवाड़ ग्रामिण बैंक,
    शाखा-निम्बोल
19. तहसीलदार जैतारण
    तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.07.06.2005

उपस्थितः- 1. श्री भगवतीप्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 25/05/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक कृषि भूमि सरहद मौजा-लौटोती में ख0नं0 745, 748, 749, 820 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 93 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 72, 204, 205, 208, 236, 239, 240, 245, 249, 250, 254 रकबा 214 बीघा, ख0नं0 117, 118, 119, 142, 143, 144 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा स्थित हैं। उक्त वर्णित भूमि में वादी एवं प्रति0 सं0 1 से 3 का 1/6 व 1/3 हिस्सा हैं। स्व0 चैनसिंह की वंश वृक्षावली के अनुसार हीरसिंह का 1/2, जबरसिंह का 1/24 हीस्सा, घनश्यामसिंह का 1/24 हिस्सा तथा रामसिंह का 1/24 हिस्सा हैं। इसी प्रकार ख0नं0 सम्पूर्ण आराजी में श्रवणसिंह का 1/8 हिस्सा था, जो इसने अपने 1/3 हिस्से की कृषि भूमि वादी एंव प्रति सं0 1 से 3 तक के पिता चैनसिंह पुत्र अमरसिंह को जरिए रजिस्टर्ड सैलडीड के बेचान कर फरोक्त कर दी एवं मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया। वाद-पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित सम्पूर्ण आराजी में वादी का 1/24 + 1/12-1/36 हिस्सा है और प्रति0सं0 1 का 1/36 हि0 प्रति0सं02 का 1/3 हि0 व प्रति0सं0 3 का 1/36 हिस्सा हैं। इसी हिस्से माफिक मौके पर कृषि भूमि बंटी हुई है और कब्जा काश्त है तथा शांतिपूर्वक इसका उपयोग एंव उपभोग करते आ रहे है। शेष प्रति0का हिस्सा बदस्तूर जमाबन्दी में अंकित है। इसी हिस्से माफिक हिस्से मौके पर काबिज है तथा हिस्से अनुसार राज्य सरकार को राजस्व लगान भी अदा करते आ रहे है। उक्त सम्पूर्ण आराजी शामलाती हैं। परन्तु मौके पर पक्षकारान के मध्य भूमि बंटी हुई है। चूंकि वादी का खाता शामलाती होने के कारण उचित किस्म एवं तरीके से खेती करने में परेशानी आती है। वादी ने प्रति0 स0 4 से 17 को खाता अलग करने एवं बंटवाडा करने को कहा तो मना कर दिया। इसलिए कानूनी रूप से वादी अपने हिस्से माफिक कृषि भूमि को बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करके पत्थरगढी करके एंव नक्शे ट्रेश में तरमीम करनी न्यायोचित है। यदि खाता अलग अलग किया जाकर मौके पर बंटवाडा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के नही किया गया, तो निकट भविष्य में परेशानी होगी और बार बार मुकदमें बाजी होगी, जिससे वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नही होगी। इसलिए वादी को 1/36 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराया जावें। वादी जब्बरसिंह एवं पति0 सं0 15 किशनसिंह का हिस्सा मारवाड ग्रामिण बैंक शाखा-निम्बोल में रहन रखा हुआ हैं। इसलिए प्रति0 पक्षकार बनाया गया है। अतः माफिक वाद वादी का दावा डिकि फरमावें।

इस पर वाद दर्ज रजिस्टर कियां जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन वास्ते जवाबदावा तलब किया गया । परन्तु प्रति0सं0 1, 2, 4 से 7, 9 से 11, 18 व 19 बावजूद इतला अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया। वकील प्रति0 सं0 3, 8, 12, 13 ने दिनांक 04/07/05 को ईकबालिया जवाबदावा पेश किया, जिसे सामिल मिसल किया गया। वकील प्रति0 14, 15, 16, 17 ने दिनांक 04/07/2005 को इसका जवाबदावा पेश कर आग्रह किया कि खाता सं0 115 से 117 में वर्णित आराजी के कब्जे व काश्त व खातेदारी बाबत प्रति0 को जानकारी नही हैं। शेष खाता सं0 118 में वर्णित आराजी में प्रति0 सं0 14 से 16 का 2/9 वां हिस्सा है एवं शेष आराजी में प्रति0 सं0 17 का 1/6 वां व 1/18 वां हिस्सा है एंव शेष आराजी में प्रति सं0 17 का 1/6वां व 1/18वां हिस्सा है। इसी हिस्से माफिक प्रति0 काबिज होकर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

काश्त कर रहे । सभी खातेदारान की आराजी मौके पर अलग अलग बंटी हुई है। पूर्व के खातेदारों से प्रति0सं0 14 से 17 ने जरिए विक्रय विलेख भूमि खरीदी थी तथा कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। जो आज दिन तक यथावत है। आपस में स्थाई रूप से मांठे की हुई है तथा किसी तरह का कोई विवाद शेष नही है। केवल राजस्व रेकर्ड में उक्त बंटवाडे व मौका स्थिति की तरमीम नही होने से वादीगण ने यह वाद पत्र पेश किया है, जो काबिज खारीज के हैं। प्रति0 ने अपने स्वयं के खर्चे लगाकर उतम काश्त व उपजाउ बनाया हैं। वर्तमान में इस खेत में कपास की फसल बोई हुई है। इसी मौके का स्थिति अनुसार अगर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जाता है तो प्रति0 सं0 14 से 17 सहमत है। वादीगण को प्रति0 के विरूद्ध कोई बिनायदावा प्राप्त नही होता है। इसलिए वादीगण को वाद-पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। तनकियात कायम की गई। वकील वादी ने गवाह पी0डब्ल्यू0-1 जबरसिंह पी0डब्ल्यू0-2 जयसिंह के शपथ-पत्र किए जिन्हें पत्रावलीबद्ध कराया गया है। वकील प्रति0 इनसे जिरह करना चाहते है तथा प्रति0 की ओर से शहादत पेश करना नही चाहते है। वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस व्यक्त किया कि वादी व प्रति0 सं0 1 से 7 विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर आपस में आराजी बंटी हुई है। परन्तु बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उस भूमि का तकासमा नही हो रखा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भूमि शामलाती दर्ज होने से अनेक प्रकार की कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं। इसलिए वादी एंव प्रति0सं0 1 से 3 के मध्य विवादित आराजी का बंटवाडा कराया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावें तथा खाता व लगान अलग-अलग कराया जाकर नक्शे में तरमीम कर पत्थरगढी कराई जावें। वकील प्रति0 ने इसके जवाब में आग्रह किया कि राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बंटवाडा कराया जाता हैं तो प्रति0 सहमत है।

पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया तथा वकुलाय की बहस कर मनन किया गया । राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2057-2067 के अनुसार पक्षकारान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं तथा बंटवाडा कराने हेतु सहमत है। इसलिए पक्षकारान के मध्य अब कोई विवाद बिन्दु शेष नही रह जाता। अतः वादी बंटवाडा कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-लौटोती में ख0नं0 745, 748, 749, 820 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 93 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 72, 204, 205, 208, 236, 239, 240, 245, 249, 250, 254 रकबा 214 बीघा, ख0नं0 117, 118, 119, 142, 143, 144 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा स्थित भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2009/426 दिनांक 13/04/2009; 612 दिनांक 23/06/2010 एवं 253 दिनांक 22/02/2011 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपनी मौका फर्द दिनांक 25/05/2014 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सां0मि0 की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने का निवेदन किया हैं। वकील प्रतिवादीगण ने भी माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की सहमति व्यक्त की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 25/05/2014 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 25/05/2014 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–लौटोती में ख0नं0 745, 748, 749, 820 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 93 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 72, 204, 205, 208, 236, 239, 240, 245, 249, 250, 254 रकबा 214 बीघा, ख0नं0 117, 118, 119, 142, 143, 144 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	हीरसिंह जबरसिंह घनश्याम रामसिंह पि0 चैनसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	240/1	6-13-00	चा0प्र0	23.37 रू.
		239/1	12-03-00	चा0प्र0	42.70 रू.
		93/1	5-19-00	बा0दो0	3.82 रू.
		204/1	5-02-00	बा0अ0	0.90 रू.
		72/1	1-04-00	बा0अ0	2.81 रू.
		117	3-15-00	बा0अ0	1.79 रू.
		749/1	2-08-00	बा0अ0	0.90 रू.
		820/1	1-04-00	बा0अ0	6.70 रू.
		245/1	8-18-00	बा0दो0	0.40 रू.
		208/1	1-05-00		
योग		10	48-11-00		85.27 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे–काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 25/05/2014 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला:पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 25/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर–लौटोती पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला:पाली (राज0)

Scanned by CamScanner